न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्या: 108 / 2018 / अपील / एल.आर.एक्ट / बूंदी
दायरा दिनांक: 27.12.2018
अन्तर्गत धारा: 75(1) (एफ) राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

1. प्रभूलाल आत्मज मोडूलाल जाति हरिजन निवासी ग्राम बांसी तहसील नैनवा जिला बूंदी (राज0)।

...अपीलाट

बनाम

1. कैलाशबाई पत्नी लल्लूराम जाति हरिजन निवासी जयपुर।
2. कमल आ0 राधाकिशन जाति हरिजन निवासी ग्राम बांसी तहसील नैंनवा जिला बूंदी—राज0।
3. बिन्दु पत्नी राकेश पुत्री स्व0 राधाकिशन जाति हरिजन नि0 पेच की बावडी तहसील हिण्डोली जिला बूंदी
4. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार नैंनवा जिला बूंदी (राज0)।

...रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित : श्री अशोक कुमार गुप्ता अभिभाषक अपीलार्थी
विनिता निम्बेल अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांक 28.2.2019

अपीलार्थी ने न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) नैनवा जिला बूंदी (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा पत्रावली संख्या 1/भू.अ./17 बउनवान प्रभूलाल बनाम राज0 सरकार जरिये तहसीलदार आदि मे पारित निर्णय दिनांक 2.5.2018 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 (1) (एफ) अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 अपील के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 मुकाम बांसी मे कालू आ0 नन्दलाल जाति मेहत्तर नि0 बांसी खाते दर्ज खसरा नं0 3761/14 रकबा 10 बीघा का विरासत के आधार पर फौती नामा0 दर्ज करने बावत अपीलार्थी द्वारा आवेदन पेश किया गया। तहसीलदार (भू.अ.) नैनवा द्वारा आवेदक खातेदार का एकमात्र वारिस होना प्रमाणित नही होने से राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 135(2) के तहत प्रकरण दिनांक 2.5.18 को खारिज किया गया। तहसीलदार भू अभि. नैनवा के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा अपील न्यायालय अति0 जिला कलक्टर बूंदी के यहां पेश की गई जिसे एडमिशन की स्टेज पर दिनांक 24.7.2018 को क्षैत्राधिकार/श्रृवणाधिकार के अभाव मे लौटाये जाने उपरांत अपीलांट द्वारा अपील न्यायालय हाजा मे पेश कर निर्णय दिनांक 2.5.2018 को निरस्त किया जाकर कालू आ0 नन्द लाल की उक्त भूमि का फौती नामान्तरकरण अपीलांट के हक मे खोले जाने की आज्ञा प्रदान करने का अनुतोष चाहा गया।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 क्रम—2 सुनी गई।

अति0 स0 आयु0
कोटा

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुये प्रकरण मे अपीलांट एवं रेस्पो0 की ओर से दिनांक 24.1.2019 को प्रस्तुत राजीनामा पत्र की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुये कथन किया कि ख0 नं0 929 (वर्तमान सं0 स0 3761/1413 रकबा 10 बीघा वाकै ग्राम बांसी के पूर्व खातेदार कालूलाल पुत्र नन्दलाल थे कालूलाल अविवाहित फौत हुआ है उनके कोई वारिस/संतान नही है। प्रभूलाल को ही कालूलाल अपना वारिस व सब कुछ मानते थे तथा उनका सार संभाल भी प्रभूलाल ने की है इसलिये उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का अधिकार प्रभूलाल का है। रेस्पो0 को कुछ लोगो द्वारा भ्रमित कर दिये जाने से तहसीलदार नैनवा के समक्ष आपत्ति की थी लेकिन अब समझौता हो चुका है तथा रेस्पो0 को उक्त कृषि आराजी कालूलाल के स्थान पर प्रभूलाल को खातेदार दर्ज करने मे कोई आपत्ति नही है। अतः निर्णय अधीनस्थ न्यायालय 2.5.18 निरस्त कर अपील मंजूर की जावे।

4 विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 क्रम–2 ने मुताबिक राजीनामा अपील अपीलांट स्वीकार करने का अनुरोध किया।

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन किया तथा बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार पर मनन किया। अपीलार्थी द्वारा राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 मुकाम बांसी मे कालू आ0 नन्दलाल जाति मेहत्तर नि0 बांसी खाते दर्ज खसरा नं0 3761/14 रकबा 10 बीघा का विरासत के आधार पर फौती नामा0 दर्ज करने बावत प्रस्तुत आवेदन के संदर्भ मे आवेदक खातेदार का एकमात्र वारिस होना प्रमाणित नही होने से तहसीलदार (भू.अ.) नैनवा द्वारा राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 135(2) के तहत प्रकरण दिनांक 2.5.18 को खारिज किये जाने से व्यथित होकर यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 (1) (एफ) अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई। प्रश्नगत अपील प्रकरण मे अपीलांट एवं रेस्पो0 की ओर से दिनांक 24.1.2019 को राजीनामा पेश कर वर्णित किया गया कि प्रकरण मे अपीलांट एवं रेस्पो0 के मध्य राजीनामा हो चुका है दोनो ही पक्षकार एक ही परिवारके सदस्य है इसलिए मुताबिक राजीना विवादित आराजी ख0 नं0 3761/1413 रकबा 10 बीघा ग्राम बांसी तहसील नैनवा के पूर्व खातेदार कालूलाल पुत्र नन्दलाल अविवाहित फौत होने व उनके कोई वारिस एवं संतान आदि नही है प्रभूलाल को ही कालूलाल ने अपना वारिस माना है इसलिये उपरौत वर्णित सम्पत्ति के अधिकारी प्रभूलाल है। रेस्पो0 को कुछ लोगो ने भ्रमित कर दिया था इसलिये तसीलदार नैनवा के समक्ष आपत्ति करदी थी लेकिन अब समझौता हो चुका है और रेस्पो0 उपरोक्त वर्णित कृषि आराजी के संबध मे कालूलाल के स्थान पर प्रभूलाल के नाम नामान्तरकरण दर्ज करने मे कोई आपत्ति नही है इसलिये आलौच्य निर्णय दिनांक 2.5.18 निरस्त कर अपील मंजूर करने मे रेस्पो0 को कोई आपत्ति नही होना वर्णित किया है। अतः प्रश्नगत अपील प्रकरण मे पक्षकारान अपीलांट एवं रेस्पो0 के मध्य उक्त वर्णित आराजी को लेकर प्रस्तुत राजीनामा के परिपेक्ष्य मे इसी स्टेज पर न्यायहित मे अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहसीलदार भूअभि0 नैनवा द्वारा प्रकरण मे पारित जेरअपील निर्णय दिनांक 2.5.18 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार नैनवा को पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत उक्त विवेचित राजीनामा के परिपेक्ष्य मे समुचित तथ्यो का परीक्षण कर विधि अनुसार मृतक खातेदार कालूलाल पुत्र नन्दलाल के नाम दर्ज आराजी ख0 नं0 3761/1413 रकबा 10 बीघा ग्राम बांसी तहसील नैनवा का फौती/विरासत का नियमानुसार नामान्तरकरण दर्ज करने हेतु प्रतिप्रेषित (रिमांड) किया जाता है।

6 निर्णय आज दिनांक 28.2.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा